

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक, संजय टाइगर रिजर्व सीधी (म०प्र०)

शिवाजीनगर, नौदिया, जिला सीधी-486661

दूरभाष नम्बर 9425768669, ई-मेल fidsnjp.sdh@mp.gov.in, ddsnjp.sdh@mp.gov.in

कमोंक/तक/व्यय/2023/6320
प्रति

सीधी दिनांक 10.11.2023

महाप्रबंधक,

म०प्र० ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

परियोजना क्रियान्वयन इकाई बैढ़न

जिला सिंगरौली म०प्र०

विषय:- सिंगरौली जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत गजराबहरा से सुलियरी को याई मार्ग के निर्माण हेतु 5.672 हे. वन भूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण विकास प्राधिकरण सिंगरौली को उपयोग पर देने वावत्।

संदर्भ:- 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्र./6-एमपीआर 034/2022-बीएचओ दि. 21.07.2023
2. प्र०मु०व०स० (भू-प्रबंध) म०प्र०भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/1196/2022/10-11/3196 दिनांक 24.07.2023
3. व०म०अ० सिंगरौली का पत्र क्र./मा.चि./5628 दि. 31.10.2023
4. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/तक/व्यय/2023/6310 दिनांक 07.11.2023

—000—

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रकरण में प्रभावित वनभूमि रकबा 5.672 हे. के व्यपवर्तन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव में प्रथम चरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है।

प्रकरण में प्रभावित वन भूमि के बदले न्यायालय कलेक्टर, जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण क्रमांक 12/अ-20(3)/2022-23 आदेश दिनांक 20 जून 2022 से तहसील चितरंगी, ग्राम रमपुरवा, खसरा क्रमांक 778, रकबा 1.0 हे., 779 रकबा 1.672 हे., 925 रकबा 1.00 हे., 1088 रकबा 1.00 हे., 1089 रकबा 1.00 हे. कुल 5.672 हे. भूमि उपलब्ध कराई गई थी, जो संजय टाइगर रिजर्व सीधी के प्रशासनिक क्षेत्र अन्तर्गत आती है। उक्त भूमि पर रु.50,67,480/- (पचास लाख सरसठ हजार चार सौ अस्सी रुपये) की रोपण योजना की तकनीकी स्वीकृति जारी की गई थी।

उक्त रोपण योजना में से वन मण्डलाधिकारी सिंगरौली द्वारा त्रुटिवश पत्र क्रमांक/मा.चि./4055 दिनांक 09.08.2023 से रु.8,12,200/- जमा करने हेतु मांग पत्र जारी किया गया है। जिसके बदले आपके द्वारा उक्त राशि कैम्पा खाते में जमा की जा चुकी है, शेष राशि रु.42,55,280/- कैम्पा खाते में जमा की जानी है।

अतः क्षतिपूर्ति वनीकरण की शेष राशि रु.42,55,280/- कैम्पा खाते में जमा कराया जाकर बैंक की स्लिप/यू.टी.आर. नं. इस कार्यालय को प्रेषित करें, जिससे पालन प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जा सके।

(हरिओम)

उप संचालक

संजय टाइगर रिजर्व, सीधी म०प्र०

सीधी दिनांक 10.11.2023

पृ०कमोंक/तक/2023/6321
प्रतिलिपि-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म०प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।
2. वन संरक्षक, रीवा वृत्त रीवा म०प्र० की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।
3. वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

उप संचालक

संजय टाइगर रिजर्व, सीधी म०प्र०